रजिस्टर्ड नं० एल0-33/एस0 एम0 14.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 10 जनवरी, 1989/20 पौष, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

*Shimla-4, the 19th December*, 1988

No. 1-47/88-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, The Indian Stamp (Himachal

Pradesh Amendment) Bill, 1988 (Bill No. 11 of 1988) having been introduced on the 19th December, 1988, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
*Secretary.*

1988 का विधेयक संख्यांक 11.

# भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 है ।

धारा 27 का संशोधन।

1988 का 2

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 27 में आए शब्द और कोष्ठक "वह प्रतिफल (यदि कोई हो)" के स्थान पर "वह प्रतिफल, यदि कोई हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य" शब्द और चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 47-अ का अन्तः-स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"**47-अ.—न्यून मूल्यांकित लिखतों पर कार्यवाही.**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास, किसी सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी किसी लिखत का रजिस्ट्रीकरण करते समय, यह विश्वास करने का कारण हो कि, यथास्थिति, सम्पत्ति का बाजार मूल्य या प्रतिफल, लिखत में सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है, तो वह, ऐसी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्, यथास्थिति, बाजार मूल्य या प्रतिफल और उस पर देय उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलक्टर को निर्देशित कर सकेगा ।

1908 का 16

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, कलक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी रीति में जांच करने के पश्चात्, जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, यथापूर्वोक्त बाजार मूल्य या प्रतिफल और शुल्क अवधारित करेगा और शुल्क की कमी की रकम, यदि कोई हो, शुल्क के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी ।

(3) कलक्टर, स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त उस जिले के रजिस्ट्रार से निर्देश की प्राप्ति पर, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति या उसका ऐसा भाग स्थित है जो लिखत की विषय-वस्तु है, किसी लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जो उसे उप-धारा (1) के अधीन पहले निर्देशित नहीं की गई हो, यथास्थिति, इसके बाजार मूल्य या प्रतिफल और उस पर संदेय शुल्क के

1908 का 16

सहीकरण के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए, लिखत को मंगवाएगा और उसका परीक्षण करेगा और यदि, ऐसे परीक्षण के पश्चात्, उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में बाजार मूल्य या प्रतिफल सही तौर पर उपवर्णित नहीं किया गया है, तो वह उप-धारा (2) में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार, यथापूर्वोक्त, बाजार मूल्य या प्रतिफल और शुल्क अवधारित कर सकेगा, और शुल्क की कमी की रकम, यदि कोई हो, शुल्क संदत्त करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी भी लिखत को लागू नहीं होगी ।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन कलक्टर द्वारा मंगवाया गया मूल दस्तावेज किसी कारण से पेश नहीं किया जाता है या पेश नहीं किया जा सकता हो, वहां कलक्टर, इसको पेश न किए जाने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दस्तावेज की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति मंगवा सकेगा और उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन, कलक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा और ऐसी सभी अपीलों की सुनवाई और निपटारा, ऐसी रीति में किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(6) इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का "बाजार मूल्य" वह मूल्य अभिकलित किया जाएगा जितने में ऐसी सम्पत्ति, यथास्थिति, कलक्टर या अपील प्राधिकारी की राय में बिकी होती, यदि वह, ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण से संबंधी लिखत के निष्पादन की तारीख को, खुले बाजार में बेची जाती ।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

न्यून मूल्यांकित लिखतों पर कार्यवाही करने के उपबन्धों की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है ताकि पक्षकारों के बीच वस्तुतः संव्यवहार की अपेक्षा कम मूल्य के परिवर्णन द्वारा, स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को प्रभावकारी रूप से रोका जा सके। यह विधेयक उसकी पूर्ति के लिए है ।

शिमला:
दिसम्बर, 1988.

धर्म सिंह,
प्रभारी मन्त्री ।

---

### वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के कार्यान्वयन पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं किया जाएगा। विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, अन्तर्वलित सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य के परिवर्णन द्वारा स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए परिकल्पित किए गए हैं। इससे राज्य के राजस्व में बढ़ौतरी की सम्भावना है । राज्य के राजस्व में निश्चित बढ़ौतरी की गणना नहीं की जा सकती है ।

---

### प्रत्यायोजित विधान सम्बंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रस्तावित धारा 47-अ की उप-धारा (2) और उप-धारा (5) द्वारा कलक्टर द्वारा, प्रस्तावित विधान से संगत, जांच इत्यादि की रीति के बारे में और, उस रीति को विहित करते हुए जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित करना है । उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के फलस्वरूप प्रस्तावित नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे।

प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियां आवश्यक और सामान्य स्वरूप की हैं।

---

### भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[फाईल संख्या: रैव 1-2(स्टाम्प) 1/87]

(राजस्व विभाग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authoritative English text of the Bharatiya Stamp (Himachal Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 1988 (1988 ka Vidheyak Sankhyank 11) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.*]

**Bill No. 11 of 1988.**

## THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 1988

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. II of 1899) in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

**1.** This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1988.

Amendment of section 27.

**2.** For the words and brackets "The consideration (if any)" occurring in section 27 of the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter called as the principal Act), the words and signs "The consideration, if any, the market value of the property" shall be substituted. 2 of 1899.

Insertion of section 47-A.

**3.** After section 47 of the principal Act, the following new section shall be added, namely:—

"47-A. *Instruments under-valued, how to be dealt with.*—(1) If the Registering Officer, appointed under the Registration Act, 1908, while registering any instrument relating to the transfer of any property, has reason to believe that the market value of the property or the consideration, as the case may be, has not been truely set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector for determination of the market value or consideration, as the case may be, and the proper duty payable thereon. 16 of 1908.

(2) On receipt of reference under sub-section (1), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner, as may be prescribed by rules, made under this Act, determine the market value or consideration and the duty, as aforesaid, and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty.

(3) The Collector may, *suo moto* or on receipt of reference from the Inspector General of Registration or the Registrar of a District, in whose jurisdiction the property, or any portion thereof, which is the subject-matter of the instrument, is situated, appointed under the Registration Act, 1908, shall, within three years from the date of registration of any instrument, not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of its market value or consideration, as the case may be, and the duty payable thereon and if, after such examination, 16 of 1908.

he has reason to believe that the market value or consideration has not been truely set forth in the instrument, he may determine the market value or consideration and the duty, as aforesaid, in accordance with the procedure provided for in sub-section (2), and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any instrument registered before the date of the commencement of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1988.

(4) Where for any reason the original document called for by the Collector under sub-section (3) is not produced or cannot be produced, the Collector may, after recording the reasons for its non-production, call for a certified copy of the entries of the document from the registering officer concerned and exercise the powers conferred on him under sub-section (3).

(5) Any person, aggrieved by an order of the Collector, under sub-section (2) or sub-section (3), may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal before the District Judge and all such appeals shall be heard and disposed of in such manner as may be prescribed by rules made under this Act.

(6) For the purpose of this section "market value" of any property shall be estimated to be the price which, in the opinion of the Collector or the appellate authority, as the case may be, such property would have fetched, if sold in the open market on the date of execution of the instrument relating to the transfer of such property."

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The necessity of provisions for dealing with under valued instrument has arisen with a view to check effectively the evasion of stamp duty by reciting lower value than that actually transacted between the parties. Hence this Bill.

SHIMLA:
The 19th December, 1988.

DHARAM SINGH,
*Minister-in-charge.*

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

No additional expenditure is to be incurred for the implementation of the proposed Bill. The provisions contained in the Bill are designed to check the evasion of stamp duty by reciting lower value than actual market value of the property involved. It is likely to increase the State revenue. The exact increase in State revenue, cannot be worked out.

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-sections (2) and (5) of section 47-A proposed to be inserted in the principal Act *vide* clause 3 of the Bill, seek to delegate powers to the State Government to make rules regarding the manner of holding of enquiries etc. by the Collector consistant with the proposed legislation and prescribing the manner in which appeals are to be heard and disposed of by the District Judge. By virtue of the provisions contained in sub-section (2), the proposed rules are to be made after previous publication.

The powers sought to be delegated are essential and normal in character.

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

**[File No. Rev. 1-2 (Stamp) 1/87]**

(REVENUE DEPARTMENT)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 1988 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।